कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 28.07.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-34 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कोतवाली नगर ने 03, थाना धानेपुर ने 02, थाना छपिया ने 01, थाना परसपुर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना को0 कर्नैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामफेर उर्फ बडकऊ पुत्र समोखन नि0 ग्राम फतेहपुर कोटहना झिंगही माझा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-330/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सकठू पुत्र छत्तर निवासी ग्राम पचपुती जगतापुर अनूप सिंह का फार्म थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-266/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रेमनाथ यादव पुत्र श्री रामकुमार निवासी रामनिहोर पुरवा कल्यानपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-287/22, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 28.07.2022</u>

दहेज के लिए प्रताड़ित करने व दहेज न मिलने पर तीन तलाक देने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस ने मु0अ0सं0- 453/22, धारा 498ए, 323, 504,506,452,376डी भादवि व 3/ 4 डी0पी0 एक्ट व 4 मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 का वांछित अभियुक्त मो0अदनान को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया तथा अपने मौसी के लड़के को साथ लेकर अपनी पत्नी के साथ सामुहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पुनः ऐसा करने से माना करने पर जान- मारने की धमकी देते हुए तीन बार तलाक बोला था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता ने थाना को0नगर में अभियोग पंजीकृत कराया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. मो0 अदनान पुत्र मो0 वसीम निवासी 544/2236 हसरत टाउन बालागंज थाना ठाकूरगंज लखनऊ।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0सं0- 453/22, धारा 498ए, 323, 504,506,452,376डी भादवि व 3/ 4 डी0पी0 एक्ट व 4 मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

उ0नि0 जितेन्द्र कुमार मय टीम।